न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 60 / 2021 **दायर दिनांकः 12.03.2021**

रजि. नं.—2021 / 98

उनवान

1. जगदीशप्रसाद आयु 75 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरा
2. सुरेन्द्र नागर आयु 39 वर्ष पुत्र जगदीशप्रसाद जाति धाकड नि0 कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. शम्भूसिंह आयु 74 वर्ष पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
2. रामसिंह आयु 69 वर्ष पुत्र भवर सिंह जाति राजपूत नि0 भकरावदा
3. हिम्मतसिंह आयु 64 वर्ष पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
4. उम्मेद कंवर आयु 66 वर्ष पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
5. भंवरसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
6. रूपसिंह आयु वर्ष पुत्र चतर सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
7. दलपतसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
8. नन्दकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू
9. उच्छल कंवर बाई आयु 58 वर्ष पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड सालपुरा
10. तेजसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड सालपुरा
11. भूलकंवर बाई आयु 62 वर्ष पुत्री चांदसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेन्द्र सिंह का मकान प्रेमनगर तृतीय स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, कोटा जिला कोटा राज0।
12. गजेन्द्र सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
13. केलाशबाई आयु 62 वर्ष पुत्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)

14. शुभम सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
15. तरूणाबाई आयु 37 वर्ष पुत्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
16. अरूणाबाई आयु 32 वर्ष पुत्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
17. अमृताबाई आयु 57 वर्ष बेवा रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
18. मोहित सिंह आयु 24 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुआ कोटा राज0।
19. उत्कर्ष सिंह आयु 22 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुआ कोटा राज0।
20. बन कंवर बाई आयु 60 वर्ष पुत्री चादसिंह जाति राजपूत पत्नी जसवन्त सिंह बिबनवा वाले इन्द्रा कोलोनी स्वामी विवेकानन्द स्कूल की गली, बून्दी जिला बून्दी राज0।
21. विक्रम सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
22. पदम सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
23. उम्मेद कंवर सिंह आयु 54 वर्ष पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
24. जयकंवर सिंह आयु 92 वर्ष बेवा छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
25. अवतार सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां।
26. बनेसिंह आयु 31 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां।
27. ममताबाई आयु 34 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
28. शीलाबाई आयु 28 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
29. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

निर्णय दिनांक 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है ग्राम एवं माल कवाई तह0 अटरू जिला बारा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2036–39 के अनुसार ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि चांदसिंह, छीतरसिंह, शम्भूसिंह, रामसिंह पुत्रान भंवरसिंह एवं मुस0 सरदारीबाई बेवा भंवरसिंह के दर्ज खाता चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेंट नये ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 भूमि बनाये है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से 0.88 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 के पिता हीरालाल पुत्र नाथूलाल का संवत 2013 से कब्जा काश्त चला आ रहा था। उनके स्वर्गवास के पश्चात से वादी क्रम 1 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। संवत 2013 से आज तक विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। आज भी वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्वत 2013 से आज तक विवादास्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। आज भी वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारा 63 आर.टी.एक्ट के अनुसार प्रतिवादीगण के हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादीगण खुले तोर पर शांतिपूर्वक कबजा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने संवत 2013 से आज तक वादीगण के पूर्वजो के समय से वादीगण के कब्जे को कभी भी चुनौती नहीं दी है। इसलिए बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। खातेदार गंगासिंह, भंवरसिंह, चांदसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 455 के अनुसार खातेदार छीतरसिंह, चतरसिंह, भंवरबाई का स्वर्गवास हो चुका है। भंवरसिंह जी के जो प्रतिवादीगण के पिता, दादा, एवं नाना थे का सजरा निम्न प्रकार है–

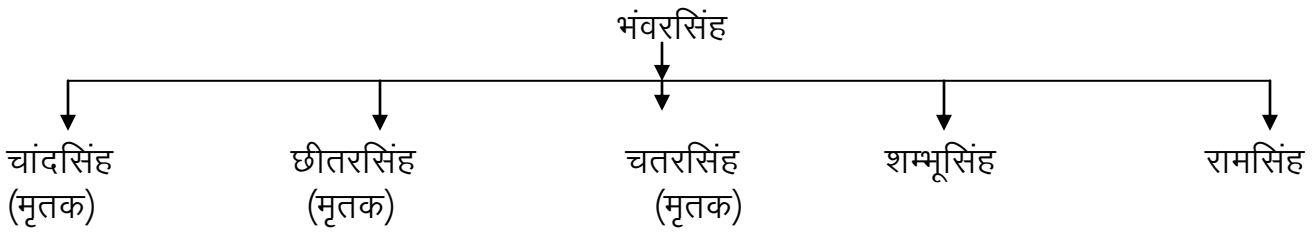

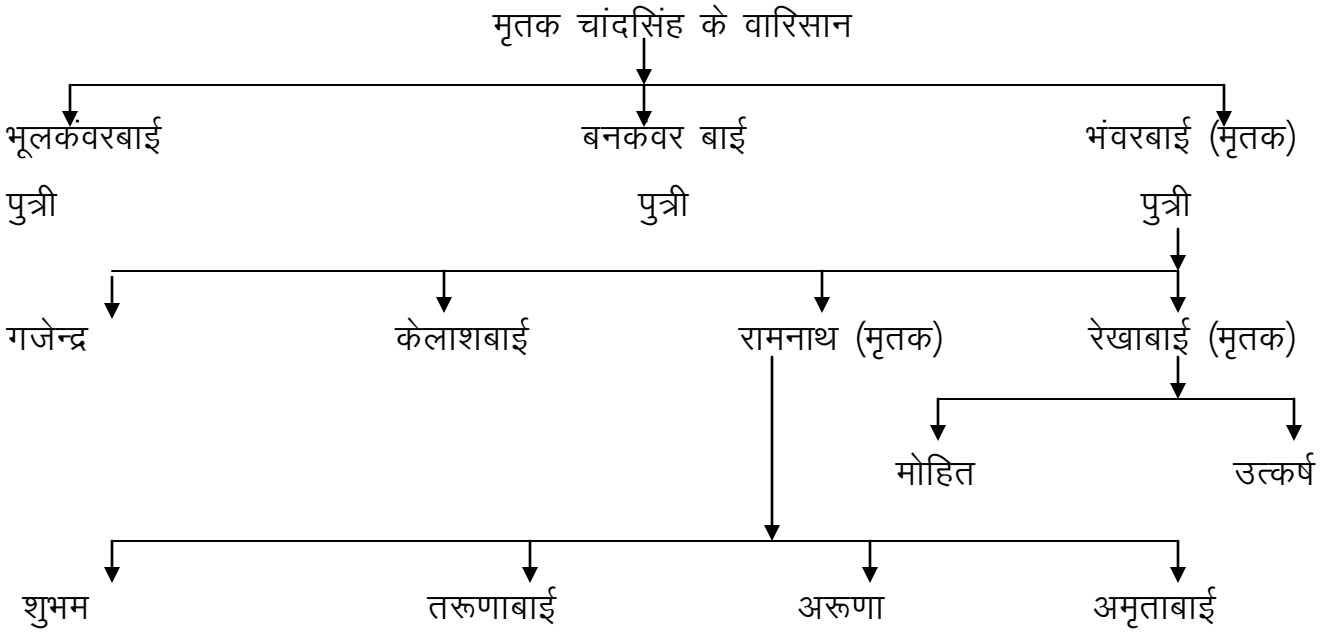

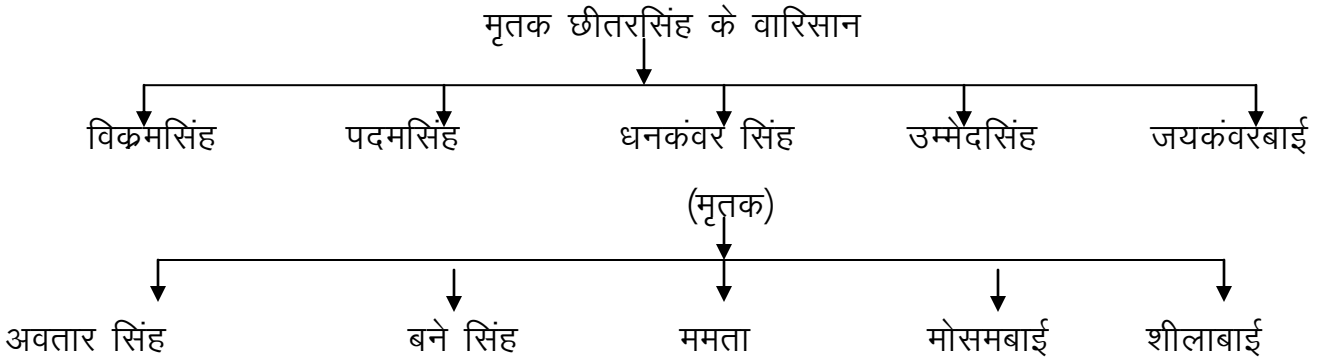

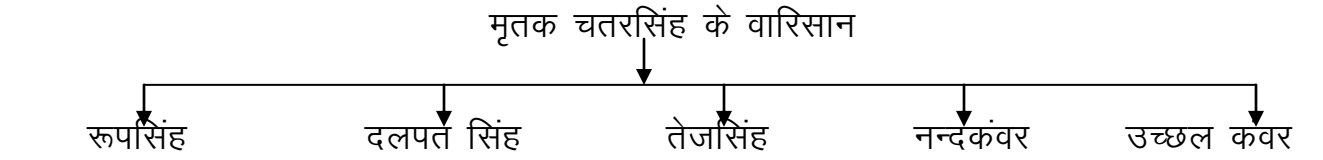

प्रतिवादीगण का नाम खाते में दर्ज होने से आये दिन वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत करने के प्रयास में रहते है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। अस्तु वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त

करने के अधिकारी है। वर्तमान ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजा हिम्मत न करें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगे जिससे अनेकानेक वाद–विवाद में उलझना पड़ेगा। मामला आवश्यक प्रवृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से यह वाद पेश किया जा रहा है। वाद कारण दि. 4–2–2021 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे करने का प्रयास करने पर मुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे किः–

(अ) ग्राम व माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इस आशय का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहिम्मत न करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद जबावदावा पेश नहीं करने पर जबावदावा बंद किया गया। प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 25 ता 29 के नियत तारीख पेशी पर बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 30/01/2023 के मुताबिक इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं होने पर तनकीयात कायम नहीं की गई परन्तु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु कायम किये गये :–

''क्या वादीगण वादपत्र के मद क्रम 1 में वर्णित कृषि आराजी खसरा न. 554 के रकबे 1.76 है0 में से 0.88 है0 भूमि पर लम्बे समय से शांतिपूर्ण व ज्ञात प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी है'' ?

4. वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्यवादी के तहत मोखिक साक्ष्य/गवाह पीडब्ल्यू1 जगदीश प्रसाद, पीडब्ल्यू2 सुरेन्द्र नागर, पीडब्ल्यू3 भैरूलाल, पीडब्ल्यू4 नंदलाल, पीडब्ल्यू 5 मुकेश, पीडब्ल्यू 6 प्रभूलाल, पी डब्ल्यू 7 हंसराज तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 ग्राम कवाई की जमाबंदी संवत 2036–39 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 ग्राम कवाई की विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी संवत 2013–14 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3 ग्राम कवाई का भूप्रबंध विभाग का मिलान क्षैत्रफल की सत्यप्रति, प्रदर्श–4 ग्राम कवाई के खाता संख्या 455 की संवत 2075–78 की ई–हस्ताक्षरित जमाबंदी व प्रदर्श–5 80सी.पी.सी का नोटिस पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

5. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य– मार्क पी1 विवादित आराजी की फोटोग्राफ, मार्क पी2 विवादित आराजी की फाटोग्राफी, मार्क पी3 एवं पी4 ग्राम कवाई की भूप्रबंध विभाग का मिलान क्षैत्रफल की सत्यप्रतियां व ख0नं0 554 का वादी मय फोटोग्राफ पेश की है।

6. ग्राम कवाई में विवादित आराजी खसरा न. 554 पर वास्तविक कब्जे की मौका स्थिति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष होना महत्वपूर्ण है ताकि प्रकरण का शीघ्र, प्रभावी व निष्पक्ष निर्णयन हो सके। अतः वादीगण के निवेदन पर तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अटरू को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट अनुसार ग्राम कवाई के आराजी खसरा न. 554 रकबा 0.88 है0 किस्म माल प्रथम पर ग्राम वासीयों के अनुसार जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा बताया कि जगदीश पुत्र हीरालाल का उक्त भूमि पर करीब पिछले 15–20 वर्षों से कब्जा है।

7. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तह0 अटरू साबिक ख0नं0 635

रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि चांदसिंह, छीतरसिंह, शम्भूसिंह, रामसिंह पुत्रान भंवरसिंह एवं मुस0 सरदारीबाई बेवा भंवरसिंह के दर्ज खाता चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेंट नये ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 बनाये है और प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई जबकि विवादित आराजी पर संवत 2013 से वादीगण के पिता व अन्य काश्तकार जैली काश्त करते आ रहे थे। प्रतिवादीगण का संवत 2013 से कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। उक्त 1.76 हे0 आराजी में से 0.88 है आराजी सेटलमेन्ट के बाद पूर्व में ही बेचान से वादी क्रम 2 के खाते दर्ज हो चुकी है। शेष विवादित आराजी हाल ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 भूमि का विगत 40–50 वर्षो से एक अलग खेत बना हुआ है जिस पर पहले वादीगण के पिता हीरालाल का शांती पूर्ण कब्जा था और उनकी मृत्यु के वाद से वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रम संवत 2013 से यानि सन् 1955–56 से आज तक विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा और न ही प्रतिवादीगण ने कभी कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण लम्बे समय से बाहर रहते है। आज भी वादीगण का सतत, ज्ञात व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय में वादीगण व इनके पिता के कब्जे काश्त को चुनौती नहीं दी है, न ही कभी उक्त भूमि की केयर की है। प्रतिवादीगण इस तथ्य को अच्छी तरह जानते है कि उक्त विवादित आराजी के वास्तविक मालिक वादीगण ही है और इसीलिए प्रतिवादीगण इस अदालत में भी अपना पक्ष रखने के लिए जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए है। प्रतिवादीगण शुरू से ही अपने खातेदारी अधिकारों के प्रति लापरवाह रहे है। राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य हेतु यह भूमि प्रतिवादीगण को दी थी, उसको प्रतिवादीगण ने नही बल्कि वादीगण ने पूरा किया है। यह भूमि पहले उबड खाबड व कम उपजाउ थी, लेकिन वादीगण ने ही उक्त आराजी पर वर्षो तक अपनी मेहनत से भूमि सुधार कार्य कराकर अधिक उपजाउ व कृषि योग्य बनाया है। प्रतिवादीगण केवल रिकार्ड मात्र में ही काश्तकार अंकित है जबकि वास्तविक काश्तकारी का कार्य वादीगण द्वारा ही किया जा रहा है। धारा 63 (1) आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 27 व आर्टिकल – 65 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार प्रतिवादीगण के हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादीगण खुले तोर पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है इसलिए बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ/कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

8. अभिभाषक वादीगण द्वारा यह तर्क भी किया गया कि विवादित आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.88 हे0 पर वादीगण के पिता व अब वादीगण विगत करीब 50 वर्षों से खुले तौर पर लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और ''कब्जा'' किसी संपत्ति के स्वामित्व का अभिन्न हिस्सा है। वादीगण का कब्जा– Sole, constructive and concurrent possession है। वादीगण ने उक्त 0.88 है0 के विवादित खेत के चारों ओर फसल की सुरक्षा हेतु पत्थर का कोट भी कर रखा हैं जिसका फोटोग्राफ भी न्यायालय में पेश किया गया है। फोटोग्राफ से जाहिर है कि वादीगण ने सरसों की फसल बो रखी है। वादीगण ने पडौसी काश्तकारों को भी न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर पेश किया है जिसमें उन्होने वादीगण के वर्षों के सतत, खुले व शांतीपूर्ण कब्जे काश्त को स्वीकार किया है। साथ में ही यह भी कथन किया है कि उक्त आराजी के कब्जा काश्त की प्रतिवादीगण व उनके पूवजों को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद पुनः कब्जा प्राप्त करने की कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अर्थात खातेदार द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की पुनः प्राप्ति के प्रति लापरवाही प्रदर्शित की गई।

9. अभिभाषक वादीगण द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मौका मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 22/02/2023 में विवादित आराजी खसरा न. 554 के करीब 0.88 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 का विगत 15–20 वर्षो का शांतीपूर्ण कब्जा काश्त बताया है। मौका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी वादीगण के प्रतिकूल कब्जे को साबित करती है।

10. वादीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गए– (i) Ravindra kaur Grawal Vs. Manjit kaur 2019 (SC), (ii) Jitendra singh Vs The State of Madhya Pradesh 2021 (SC), (iii) बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह 1991 आर.आर.डी1 वृहत्पीठ राजस्व मण्डल।

11. विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त विवेचित सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतो का सादर अवलोकन किया गया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12. विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतो का सादर अवलोकन निम्न प्रकार है :– (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर ग्रेवाल 2019 में अभिनिर्धारित किया है कि – ''We are not inclined to accept the submission that there is no conferral of right by adverse possession. Section 27 of

Limitation Act, 1963 provides for extinguishment of right on the lapse of limitation fixed to institute a suit for possession of any property, the right to such property shall stand extinguished. The concept of adverse possession as evolved goes beyond it on completion of period and extinguishment of right confers the same right on the possessor, which has been extinguished and not more than that. For a person to sue for possession would indicate that right has accrued to him in presenti to obtain it, not in futuro. Any property in Section 27 would include corporeal or incorporeal property. Article 65 deals with immovable property''**(para 55).**

"Possession is the root of title and is right like the property. As ownership is also of different kinds of viz. sole ownership, contingent ownership, corporeal ownership, and legal equitable ownership. Limited ownership or limited right to property may be enjoyed by a holder. What can be prescribable against is limited to the rights of the holder. Possession confers enforceable right under Section 6 of the Specific Relief Act. It has to be looked into what kind of possession is enjoyed viz. de facto i.e., actual, 'de jure possession', constructive possession, concurrent possession over a small portion of the property. In case the owner is in symbolic possession, there is no dispossession, there can be formal, exclusive or joint possession. The joint possessor/co-owner possession is not presumed to be adverse. Personal law also plays a role to construe nature of possession''**(para 56).**

``The adverse possession requires all the three classic requirements to co-exist at the same time, namely, nec vi i.e. adequate in continuity, nec clam i.e., adequate in publicity and nec precario i.e. adverse to a competitor, in denial of title and his knowledge. Visible, notorious and peaceful so that if the owner does not take care to know notorious facts, knowledge is attributed to him on the basis that but for due diligence he would have known it. Adverse possession cannot be decreed on a title which is not pleaded. Animus possidendi under hostile colour of title is required. Trespasser's long possession is not synonym with adverse possession. Trespasser's

possession is construed to be on behalf of the owner, the casual user does not constitute adverse possession. The owner can take possession from a trespasser at any point in time. Possessor looks after the property, protects it and in case of agricultural property by and the large concept is that actual tiller should own the land who works by dint of his hard labour and makes the land cultivable. The legislature in various States confers rights based on possession''**(para 57).**

"We hold that a person in possession cannot be ousted by another person except by due procedure of law and once 12 years' period of adverse possession is over, even owner's right to eject him is lost and the possessory owner acquires right, title and interest possessed by the outgoing person/owner as the case may be against whom he has prescribed. In our opinion, consequence is that once the right, title or interest is acquired it can be used as a sword by the plaintiff as well as a shield by the defendant within ken of Article 65 of the Act and any person who has perfected title by way of adverse possession, can file a suit for restoration of possession in case of dispossession. In case of dispossession by another person by taking law in his hand a possessory suit can be maintained under Article 64, even before the ripening of title by way of adverse possession. By perfection of title on extinguishment of the owner's title, a person cannot be remediless. In case he has been dispossessed by the owner after having lost the right by adverse possession, he can be evicted by the plaintiff by taking the plea of adverse possession. Similarly, any other person who might have dispossessed the plaintiff having perfected title by way of adverse possession can also be evicted until and unless such other person has perfected title against such a plaintiff by adverse possession. Similarly, under other Articles also in case of infringement of any of his rights, a plaintiff who has perfected the title by adverse possession, can sue and maintain a suit''**(para 59).**

" Resultantly, we hold that decisions of Gurudwara Sahab v. Gram Panchayat Village Sirthala (supra) and decision relying on it in State of Uttarakhand v.

Mandir Shri Lakshmi Siddh Maharaj (supra) and Dharampal (dead) through LRs v. Punjab Wakf Board (supra) cannot be said to be laying down the law correctly, thus they are hereby overruled. We hold that plea of acquisition of title by adverse possession can be taken by plaintiff under Article 65 of the Limitation Act and there is no bar under the Limitation Act, 1963 to sue on aforesaid basis in case of infringement of any rights of a plaintiff''**(para 61).**

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि "*Right from 1997 the law is very clear. In the case of Balwant Singh v. Daulat Singh (D) By Lrz. Reported in (1997) 7 SCC 137, this Court had an occasion to consider the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title ot the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relenvant only for the purpose of collection land reveue. Similar view has been expressed in the series of decisions therafter. 6.1 In the case of Suraj Bhan v. Financial Commissioner, &2007) 6 SCC 186, it is observed and held by this Court that an entry in revenue recouds does not confer title on a person whose name appears in record of rights. Entries in the renenue records or jamabandi have only "fiscal purpose" i.e. payment of land revenue, and no ownership is conferred on the basisof such entries. It is further observed that so far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent cicil court. Similar view has been expressed in the cases of Suman Verma V. Union of India, (2004) 12 SCC 58; Faqruddin V. Tajuddin (2008) 8 SCC 12; Rajinder Singh V. State of J&k, (2008)9 SSC 368; Municipal Corporation, Aurangabad v.State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689; T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, (2017)7 SCC 342' Bhimabai Mahadeo Kambkar v. Arthur import & Export Co, (2019)3 SCC 191; Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar, (2019) 10 SCC 259 and Ajit Kaur v. Darshan Singh, (2019)13 SCC 70.*" (para 6)

(iii) बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह 1991 आर.आर.डी 1 वृहत्पीठ का अवलोकन एवं मनन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल के वृहत्पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि – ''एक खातेदारी–अभिधारी भूमि का स्वत्व (स्वामित्व का अधिकार) धारण नहीं करता। वह केवल पट्टेदार (lessee) है। राज्य भू–धारक का भूमि का स्वामी बना रहता है और पट्टा कर्ता (lessor) है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है, जो कुछ शर्तों के अध्यधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य को उस भूमि का अधिग्रहण करने (वास लेने) का अधिकार है। उदाहरणार्थ राज्य जोत का खण्डीकरण (टुकडे–टुकडे करने) पर या किसी अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा किसी अन–अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकारों का अन्तरण (ट्रांसफर) कर देने पर'' (पैरा 16). ''इस संबंध में यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि किसी निजी (प्राइवेट) व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के द्वारा किसी अधिकार की मांग (दावा) करने के प्रयोजन के लिए विहित अवधि 12 वर्ष बीत जाने पर भी परिसीमा अधिनियम की धारा 27 प्रभावशील नही होती.....अतः यह परिणाम निकलता है कि एक अतिचारी का कब्जा एक खातेदार के विरूद्ध तो प्रतिकूल हो सकता है, किन्तु यह राज्य के विरूद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता (पैरा 17)''। ''सही विधि (कानून) यह है कि प्रतिकूल कब्जे के द्वारा एक अतिचारी/अतिक्रमी (ट्रेसपासर) खातेदारी अधिकार अर्जित/प्राप्त करता है परन्तु यह है कि खातेदारी अधिकार अर्जित करना विशिष्ट रूप से विधि (कानून) द्वारा वर्जित नहीं हो, जैसे धारा 42, धारा 16 राजस्थान अभिधृति अधिनियम'' (पैरा 22).

13. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी एवं बहस के प्रकाश में पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का भी ध्यानपूर्वक सादर मनन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ग्राम कवाई की जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श 2 अनुसार उक्त विवादित आराजी ख0नं0 635 के उपकृषक के रूप में भंवरसिंह के खाते दर्ज थी और जैली काश्तकार के रूप में वादीगण के पिता व अन्य काश्तरत थे। ग्राम कवाई तह0 अटरू की जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श 1 के अनुसार ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि चांदसिंह, छीतरसिंह, शम्भूसिंह, रामसिंह पुत्रान भंवरसिंह एवं मुस0 सरदारीबाई बेवा भंवरसिंह के दर्ज खाता स्थित है। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 व मार्क 4 से यह तथ्य साबित हे कि ग्राम कवाई के साबिक ख0नं0 635 मि0 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा का नया ख0नं0 553 रकबा 1.88 है0 एवं ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 बनाया गया है जिसमें से 0.88 है0 आराजी सेटलमेन्ट के बाद, नया बटा नं0

2247/554 बनकर, वादी क्रम 2 सुरेन्द्र के पूर्व से ही खाते दर्ज है। ग्राम कवाई की हाल जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि खाता संख्या 455 के ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 भूमि प्रतिवादीगण उम्मेदकुवर, चतरसिंह, छीतरसिंह, बनकंवरबाई, भुलकंवरबाई, भंवरबाई, भंवरसिंह, रामसिंह, शम्भुसिंह, हिम्मतसिंह के खाते जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण द्वारा पेश विवादित आराजी के खसरा गिरदावरी संवत 2013–14 प्रदर्श 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण की जगह जैली काश्तकार काश्त करते थे।

14. वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण का केवल राजस्व रिकार्ड में नाम है, कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही कभी उक्त भूमि की देखभाल व सुधार किया है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर अपने शांतीपूर्ण व सतत कब्जे काश्त के सबंध में पेश मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 3 ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि ग्राम कवाई की विवादित आराजी लगभग साढे 5 बीघा भूमि जगदीश व सुरेन्द्र सिहं के दादा हीरालाल जी के जीवनकाल से ही इनके कब्जे काश्त में चली आ रही है और खातेदारों ने इनके कब्जे को कभी भी किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी। पी डब्ल्यू 4 ने शपथ कथन किया है कि मैंने 10 साल तक वादीगण के यहां हाली का काम किया है और वादीगण के इस खेत को हांका जोता है। इस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। पी डब्ल्यू 5 ने सशपथ कथन किया है कि मेरे कवाई के खेत वादीगण के खेत के पास ही है और मैने कवाई की इस विवादित साढे पांच बीघा भूमि को 30–35 वर्षों से वादीगण का ही कब्जा देखा है। पी डब्ल्यू 6 व 7 ने कथन किया है कि विवादित आराजी से एक खेत छोडकर कंवरपुरा के माल में हमारी जमीन है। हमने 30–40 वर्षों से वादीगण को ही काश्त करते देखा है। अतः पेश मौखिक साक्ष्य व पडोसी काश्तकारों के बयानों से प्रथम दृष्टया विवादित आराजी ख0नं0 554 पर वादीगण का करीब 30 वर्षों से पुराना शांतीपूर्ण व सतत कब्जा काश्त प्रतित होता है।

15. मौका मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.20.2023 अनुसार भी उक्त विवादित भूमि ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 के खेत पर वादी क्रम 1 जगदीश पुत्र हीरालाल धाकड का 15–20 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त है। मौका मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट ग्राम वासीयों की उपस्थिति में तैयार की है जिससे यह भी साबित होता है कि वादी क्रम 1 के कब्जे काश्त की ग्राम वासीयों को जानकारी है अर्थात कब्जा सर्वज्ञात प्रतीत होता है।

16. वादीगण द्वारा पेश विवादित आराजी की फोटोग्राफ मार्क पी 1 दिनांक 06.2.2023 के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि ख0नं0 554 पर वादीगण ने पत्थर का कोट कर

रखा है और फसल बो रखी है। इसी प्रकार फोटोग्राफ मार्क पी 5 के अनुसार भी विवादित आराजी ख0नं0 554 पर वादी क्रम 1 का कब्जा प्रतीत होता है।

17. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश करने के बावजूद न तो जवाब दावा पेश करना और न ही आगे की कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित होने से भी प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादीगण के अनुतोष के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करना नहीं चाहते है। यह प्रतिवादीगण की अपने खातेदारी अधिकार और कानूनी अधिकारों के प्रति लापरवाही को व्यक्त करता है।

18. प्रकरण में धारा 63(1)(iv) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन करना भी आवश्यक है जो निम्नानुसार है– **Section 63** – "(1) The interest of tenent in his holding or a part thereof as the case may be, shall be extinguished - (iv) when he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation". उक्त प्रावधानों के अनुसार यदि किसी काश्तकार को उसके कब्जे से बेदखल कर दिया जाता है और उसके पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो तो ऐसे काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जायेगें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पुनः कब्जा प्राप्त करने की समय सीमा के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 में इस संबंध में प्रावधान दिये गये है। यह सही है कि कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार कभी अधरझूल में नहीं रह सकते है अर्थात यदि किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त होते हे तो किसी और के अधिकार उत्पन्न हो जायेगें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन खातेदार भू स्वामी न होकर केवल एक पट्टेदार होता है। भू स्वामी यानी राज0 सरकार द्वारा खातेदार को कुछ शर्तों के अधीन भूमि काश्त हेतु पट्टे पर दी जाती है। यदि कोई काश्तकार पट्टे पर दी गई भूमि देखभाल नहीं करता है या उस पर सकारात्मक/सुधार कार्य के बजाय नकारात्मक/प्रतिकूल कार्य करता है तो उससे खातेदारी अधिकार छीनकर किसी अन्य काश्तकार को दिये जा सकते है।

19. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जाकृत अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व अर्जित होने के प्रावधान लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 में भी दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के प्रावधान निम्नानुसार है–

27. Extinguishment of right to property- ''at the determination of the period here by limited to any person for instituting a suit for possession of any property, is right to such property shall be extinguished.''

खातेदार कृषक द्वारा अपने वंचित आराजी (**अचल सम्पत्ति**) पर पुनः कब्जा प्राप्त करने की समय सीमा लिमिटेशन एक्ट में 12 वर्ष निर्धारित है। यदि उक्त 12 वर्षों की समय अवधि के दौरान खातेदार/प्रतिवादी अपनी अचल सम्पत्ति पर कब्जा पुनः प्राप्त नहीं करता है, तो उस अचल सम्पत्ति/आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर कब्जेधारी/वादी के अधिकार सृजित हो जायेंगे और वह कब्जाधारी/वादी अपने स्वामित्व के अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में वाद ला सकता है। इस संबंध में लिमिटेशन एक्ट के परिशिष्ट के भाग 5 के आर्टीकल 65 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है –

Article 65- Description of suit	Period of limitation	Time from which period begins to run
For possession of immovable property or any interest there in based on title. ***Explenation*** – For the purpose of this article – (a) where this suit is by a reminderman, a reversioner (other then a landlord) or a devise, the possession of the defendant shall be deemed to become adverse only when the estate of the remainderman, reversioner or devisee, as the case may be, falls into possession; (b) where the suit is by a Hindu or Muslim entitled to the possession of immovable property on the death of a Hindu or Muslim female, the possession of the defendant shall be deemed to become adverse only when the female dies; (c) where the suit is by a purchaser at a sale in execution of a decree when the judgment-debtor was out of possession at the date of the sale, the purchaser shall be deemed to be a representative of the dudgment-debtor who was out of possession.	12 Years	When the possession of the defendend becomes adverse to the plantiff

20. वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहन पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 7 एवं तहसीलदार अटरू की मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2023 के आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि वादीगण विगत कम से कम 15–20 वर्षो से शांतीपूर्ण, सतत व ज्ञात कब्जे काश्त में चले आ रहा है जबकि लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 65 में प्रतिकूल कब्जे की समयावधि 12 वर्ष निर्धारित है। अतः वादीगण

विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के स्वामित्व के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे काश्त में है (nec precario i.e. adverse to a competitor) । यह भी जाहिर है कि वादीगण के पिता व अन्य काश्तकार संवत 2013 के बाद से विवादित आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चले आ रहे है, इसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित होती है। पत्रावली पर कोई भी ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे वादीगण के लगातार कब्जे काश्त के विपरित हो। अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण की विवादित आराजी पर लगातार कब्जा धारित किया जाना साबित होता है (nec vi i.e. adequate in continuity) । इसी प्रकार वादी के 15–20 वर्षों से अधिक पुराने प्रतिकूल कब्जे का न केवल खातेदार प्रतिवादीगण को ज्ञान था बल्कि अडोसी पडोसी काश्तकार को ज्ञान था। अतः उक्त प्रकरण में nec clam i.e., adequate in publicity का सिद्धान्त लागू होता है।

21. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 पर वादीगण जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल, सुरेन्द्र नागर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी कंवरपुरा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **20/04/2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 60/2021 **दायर दिनांकः 12.03.2021**

रजि. नं.–2021/98

उनवान

1. जगदीशप्रसाद आयु 75 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरा

2. सुरेन्द्र नागर आयु 39 वर्ष पुत्र जगदीशप्रसाद जाति धाकड नि0 कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. शम्भूसिंह आयु 74 वर्ष पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
2. रामसिंह आयु 69 वर्ष पुत्र भवर सिंह जाति राजपूत नि0 भकरावदा
3. हिम्मतसिंह आयु 64 वर्ष पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
4. उम्मेद कंवर आयु 66 वर्ष पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
5. भंवरसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
6. रूपसिंह आयु वर्ष पुत्र चतर सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
7. दलपतसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
8. नन्दकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू
9. उच्छल कंवर बाई आयु 58 वर्ष पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड सालपुरा
10. तेजसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराम कॉलोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड सालपुरा
11. भूलकंवर बाई आयु 62 वर्ष पुत्री चांदसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेन्द्र सिंह का मकान प्रेमनगर तृतीय स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, कोटा जिला कोटा राज0।
12. गजेन्द्र सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
13. केलाशबाई आयु 62 वर्ष पुत्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
14. शुभम सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
15. तरूणाबाई आयु 37 वर्ष पुत्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
16. अरूणाबाई आयु 32 वर्ष पुत्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
17. अमृताबाई आयु 57 वर्ष बेवा रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी शीतला माता मंदिर के पास, राजगढ़ (म0प्र)
18. मोहित सिंह आयु 24 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुआ कोटा राज0।
19. उत्कर्ष सिंह आयु 22 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं0 ई 427 नगर विकास योजना कंसुआ कोटा राज0।

20. बन कंवर बाई आयु 60 वर्ष पुत्री चादसिंह जाति राजपूत पत्नी जसवन्त सिंह बिबनवा वाले इन्द्रा कोलोनी स्वामी विवेकानन्द स्कूल की गली, बून्दी जिला बून्दी राज0।
21. विक्रम सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
22. पदम सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत नि० भकरावदा
23. उम्मेद कंवर सिंह आयु 54 वर्ष पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
24. जयकंवर सिंह आयु 92 वर्ष बेवा छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
25. अवतार सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां।
26. बनेसिंह आयु 31 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां।
27. ममताबाई आयु 34 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
28. शीलाबाई आयु 28 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा
29. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 554 रकबा 0.88 है0 पर वादीगण जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल, सुरेन्द्र नागर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी कंवरपुरा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20/04/2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)